न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व वाद संख्या 75/2003

1. रामकिशन पुत्र सुखदेव जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर मृतक के बजाय विधिक वारिसान–

1/1 श्रीराम गोपाल पुत्र स्व0 श्रीरामकिशन शर्मा उम्र बालिग

1/2 धनश्याम पुत्र स्व0 श्रीरामकिशन शर्मा मृतक के बजाय विधिक वारिसान –

1/2/1 श्रीमति चन्द्रकान्ता पत्नि स्व0 श्री धनश्याम शर्मा उम्र 46 वर्ष

1/2/2 श्रीरोशन पुत्र स्व0 धनश्याम शर्मा उम्र बालिग

1/2/3 सुश्री किरण पुत्री स्व0 श्री धनश्याम शर्मा उम्र बालिग

1/3 श्री जगदीश पुत्र स्व0 रामकिशन शर्मा उम्र बालिग

समस्त जाति ब्राम्हण निवासीगण ग्राम जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर

1/4 श्रीमति सावित्री पुत्री स्व0 श्रीरामकिशन शर्मा पत्नि श्रीमन्नालाल

1/5 श्रीमति माया पुत्री स्व0 रामकिशन शर्मा पत्नि ब्रम्हानन्द शर्मा

दोनों जाति ब्राम्हण निवासीगण ग्राम जालिया द्वितीय तहसील मसूदा हाल मुकाम मोटरास तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

2. श्रीरामगोपाल पुत्र श्रीरामकिशन जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम जालिया द्वितीय
3. श्रीरामचन्द्र पुत्र श्रीसुखदेव जी जाति ब्राम्हण निवासी जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर

..........वादीगण

बनाम

1. शिवप्रतापसिंह पुत्र विजयसिंह जी जाति राजपूत निवासी जालिया द्वितीय जरिये मुख्तार आम श्रीमति सोहन कुमारी बेवा श्रीविजय सिंह जी जाति राजपूत निवासी मसूदा तहसील मसूदा
2. श्रीउम्मेद सिंह पुत्र श्रीविजयसिंह जाति राजपूत निवासी मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर
3. श्रीगोरधन लाल पुत्र गजानन्द जाति ब्राम्हण निवासी जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर हाल ग्राम आपल्यास तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
4. श्रीओमप्रकाश पुत्र गजानन्द जाति ब्राम्हण निवासी जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर
5. श्रीकृष्णागोपाल पुत्र गजानन्द जाति ब्राम्हण निवासी जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला
6. श्रीमदनलाल पुत्र गजानन्द जाति ब्राम्हण निवासी जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर
7. माघव प्रसाद पुत्र भूरा लाल जाति ब्राम्हण निवासी जालिया द्वितीय तहसील मसूदा
8. रामविलास पुत्र छोगा लाल जाति ब्राम्हण निवासी देवलिया कलां तहसील भिनाय मार्फत श्रीमाधव प्रसाद पुत्र भूरालाल जाति ब्राम्हण निवासी जालिया द्वितीय तहसील मसूदा
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मसूदा
10. श्रीमान् नायब तहसीलदार उपतहसील बिजयनगर

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 – अ 188, 209 व धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

निर्णय दिनाम 03.05.2017

वादीगण ने अपने इस वाद पत्र में साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर की साबिक चौसाला जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 के

खाता सं0 905 की आराजी ख0 न0 1764 मि0 रक्बा 13–12–10 व 1763 मि0 रक्बा 21–13–61/3 व 1762 मि0 रक्बा 5–08–10 व 1761 मि0 रक्बा 5–09–31/2 व 1780 मि0 रक्बा 6–11–131/2 व 1779 मि0 रक्बा 24–00–00 व 1765 मि0 रक्बा 01–01–2/3 व 1781 मि0 9–19–31/3 व 1787 मि0 रक्बा 21–12–10 तथा ख0 न0 4059/1762 मि0 रक्बा 0–03–1/3 बीघा भूमियां प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी में अंकित चली आती है।

उक्त मूल नम्बरों का वृहदाकार रक्बा जो इस्मरारदार राववियजसिंह से संबधित था जिनका पारिवारिक विभाजन आदेश दिनांक 16.01.1954 से किया जाकर मिन नम्बर कायम करते हुए उसके साथ छोटा रक्बा अंकित कर दिया गया और पृथक पृथक खातेदारान के नाम लगा दिये गये लेकिन भूमि का मौके पर मिन नम्बरानुसार विभाजन नही किया गया। ये इन्द्राजात 1363 व 1365 तथा जमाबंदी स0 2015 से 2026 तक बदस्तूर चले आये इन विवादित आराजियात को वादीगण ने जरिये पृथक पृथक पंजीकृत विक्रय पत्र खरीदकर कब्जा प्राप्त कर लिया और आदिनांक काबिजकाश्त चले आ रहे है। विवादित आराजी के भूसंशोधन के जो नये नम्बर कायम किये गये वे परिशिष्ट 'क' में दर्शाये गये है जो वाद पत्र का ही भाग है।

साबिक ख0 न0 1764 मि0 के आंशिक रक्बे से हाल न0 4222, 4204 व साबिक न0 1763 मि0 के आंशिक रक्बे से 4204, 4222, 4223, 4224, कायम किये गये है साबिक न0 1762 मि0 से हाल न0 4201 व साबिक न0 1761 मि0 से हाल न0 4201, 4220, अन्य खातो में लगा दिये गये है साबिक न0 1780 मि0 से बने हाल न0 4215, 4207, 4220 व 4221 में से ख0 न0 4207 विक्रय से संबधित है लेकिन दुसरे के खाते लगा दिया है 1779 मि0 के हाल न0 23 बने है जो विक्रय से संबधित नही है। साबिक ख0 न0 1765 मि0 विक्रय से संबधित नही है। साबिक न0 178 मि0 से बने हाल 4204 रक्बा 02–17–00 विक्रय से संबधित है। अन्य बने खसरा नम्बर संबधित नही है। साबिक न0 1787 मि0 के रक्बे से बने गये नम्बरो में मात्र 4204, रक्बा 03 बिस्वा विक्रय से संबधित है तथा 4059/1762 मि0 से हाल न0 6038/4201 बना है।

वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजियात वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 मुख्तार आम के जरिये दिनांक 25.05.1981 को 109–17–00 बीघा भूमि खरीद की जिसका नामान्तकरण भी दिनांक 23.11.1982 को वादीगण के पक्ष में स्वीकार होकर राजस्व अभिलेख में अमल कर दिये जाने के बावजूद सन् 1970 – 71 में हुए सेटलमेंट के बाद सन् 1984 में कायम हुई वर्किंग जमाबंदी में विवादित आराजी के साबिक नम्बरों से बने हाल न0 4204, 4222, 4223 व 4224 रक्बा 85–11–00 बीघा भूमि सेटलमेंट कारकूनों द्वारा पुनः प्रतिवादी स0 1 शिवसिंह के नाम लगाई गई है और 24–06–00 बीघा भूमि कम कर दी गई है। जबकि वादीगण का कब्जाकाश्त 100 बीघा भूमि पर चला आ रहा है। कम की गई 24–06–00 बीघा में ख0 न0 4204/6719 रक्बा 15–06–00 बीघा से सरकारी खाते लगा दी गई है तथा 9 बीघा भूमि वादीगण की भूमि के पश्चिमी दिशा में लगते हुए ख0 न0 4207 में मिलाकर प्रतिवादी स0 2 के नाम लगा दी गई है। ख0 न0 4207 का कुल रक्बा 83–13–00 बीघा है जो साबिक न0 1764 मि0 1780 मि0 1781 मि0 व 1787 मि0 के आंशिक रक्बे से मिलाकर बना है इसमें प्रतिवादी स0 1 की आराजी भी मिला दी गई है जिसे प्रतिवादी स0 2 ने भिन्न भिन्न व्यक्तियों को विक्रय कर दिया है जिसमें से प्रतिवादी सं0 3 से 8 को 23–05–00 बीघा भूमि विक्रय की गई है लेकिन विक्रय विलेख की तफावत के कारण उनके नाम नही लगी है। लेकिन वादीगण आराजी ख0 न0 4204/6719 रक्बा 15–06–00 बीघा एवं वादीगण की भूमि के पश्चिमी दिशा में स्थित ख0 न0 4207 के रक्बा

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

09 बीघा एवं ख0 न0 4204, 4222, 4223 व 4224 रक्बा 85–11–00 बीघा में खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

विवादित आराजी बाबत् वादीगण द्वारा पृथक पृथक वाद इसी न्यायालय में प्रस्तुत किये गये थे जिन्हे न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर देने पर अपीलीय न्यायालय संयुक्त अपील की गई आदेश दिनांक 10.03.1997 से विचार हेतु अधिनस्थ न्यायालय को भिजवाए जाने पर आदेश दिनांक 30.10.2000 से खारिज कर दिया गया अतः पुनः प्रथम अपीये न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के यहां पेश की गई। जिनके विचाराधीन रहते वादीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 जा0 दी0 के तहत अनुरोध पर अधिनस्थ न्यायालय में पुनः वाद पेश करने की शर्त पर आदेश दिनांक 27.02.2003 से अपीलें उठाने की अनुमती दी गई। अतः माननीय न्यायालय के समक्ष यह वाद प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवादी स0 1 एवं उसकी मुख्तार आम दोनों तथा प्रतिवादी स0 2 की मृत्यू हो चुकी है जिनके वारिसान का काफी प्रयासों के बाद भी कोई पता नही लगाया जा सका है किन्तु साबिक राजस्व रेकार्ड के अनुसार प्रतिवादी स0 1 के द्वारा जरिये मुख्तार आम विक्रय दस्तावेज का पंजीयन वादीगण के हक में एवं प्रतिवादी स0 2 द्वारा प्रतिवादी स0 3 से 8 के हक में विक्रय दस्तावेज पंजीयन कराने तथा वर्तमान राजस्व अभिलेख में इन्ही के नाम दर्ज होने से उन्हे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है और वादीगण एक ही परिवार के है तथा विक्रय पंजीयन एक ही आराजी से संबधित है। ये एक ही तारीख को एक ही विक्रेता द्वारा निष्पादित किये गये है। वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर सामलाती कब्जाकाश्त होने के बावजूद सफाई खतौनी में कुछ खसरा नम्बरान को अन्य खातेदारान के नाम रक्बे में कमी बेशी करके लगा दिया गया। अतः संयुक्त घोषणात्मक यह वादपत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण घोषणात्मक डिक्री पारित की जावे कि वाद पत्र के पद स0 7 में वर्णित आराजी में वादीगण खातेदार काश्तकार है यथानुसार अमल दरामद कराया जावे तथा ख0 न0 4204/6719 की भूमि प्रतिवादी स0 1 की पूर्व की खातेदारी की भूमि है जिसे गैरकानूनी रूप से सिवायचक दर्ज कर दी गई किन्तु पूर्व में प्रतिवादीगण स0 1 का एवं तत्पश्चात वादीगण का कब्जाकाश्त निरन्तर बिना व्यवधान के तथा प्रतिवादी स0 9 व 10 की जानकारी में आदिनांक चले आने से इसमें वे खातेदार काश्तकार है। जिसका राजस्व रेकार्ड में अमल कराया जावे। इसी प्रकार हाल ख0 न0 4207 में 09 बीघा भूमि इसकी पूर्वी मेड के सहारे स्थित है वादीगण की क्रयशुदा आराजी ख0 न0 4204 के पश्चिमी मेड के सहारे आती है इसके बटानम्बर कायम किये जाकर उसका वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादीगण का राजस्व अभिलेख में अमल कराया जावे तथा एक निश्चित अवधि में कब्जा वादीगण को सुपुर्द किया जावे। प्रतिवादी स0 9 व 10 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण द्वारा खरीदी गई। आराजी में राजस्व अभिलेख में अमल दरामद तक किसी प्रकार की दखलंदाजी से मुनादी करवाई जावे।

प्रतिवादी स0 3 से 8 द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र में विवादित आराजी के वाद कथनानुसार होने से इन्कारी करते हुए विवादि भूमियां का मौके पर विभाजन इस्मरारदार स्व0 विजयसिंह के समय से नही होने के कथन किये है। साबिक ख0 न0 1780 के हाल न0 4215, 4207, 4220 व 4221 होना बताया है लेकिन ख0 न0 4207 के अतिरिक्त नम्बरो को अपने विक्रय से संबधित नही बताया है। पुराने से नये खसरा नम्बर बनाने को लेकर स्वयं वादीगण संस्पेन्स में

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

है। वादीगण की 9 बीघा भूमि ख0 न0 4207 में सम्मिलित होने के कथन वास्तविकता से परे है। इसलिए वादीगण इसे प्राप्ति के अधिकारी नही है। प्रतिवादी स0 1 के नाम फसली सन् 1359 से जमाबंदी 2027 तक खसरा नम्बरान मिन नम्बर से दर्ज हुए है ये ही मिन नम्बर उसके भाई प्रतिवादी स0 2 एवं अन्य भाई जितेन्द्रसिंह व मधुसुदनसिंह के नाम दर्ज हुए है इसलिए ख0 न0 4204/6719 पर वादीगण का कब्जाकाश्त मान्य नही है। वादीगण द्वारा खरीदी गई 83–13–00 बीघा भूमि पर ही प्रतिवादी स0 1 का कब्जा रहा है। राजस्व0 अपील अधिकारी अजमेर न्यायालय से पुनः वाद लाने की शर्त पर अपीलें उठाई गई लेकिन यह वाद तो मूल वाद के सर्वथा विपरीत पेश किया गया है। प्रतिवादी स0 1 व 2 के वारिसान के विरूद्व वाद पेश किया जाना चाहिए या किसी मृत व्यक्ति के विरूद्व वाद नही लाया जा सकता। इसलिए आदेश 22 नियम 4 ए जा0 दी0 की पृक्रिया पूर्ण किये बिना यह वाद निरस्त योग्य है।

भूतपूर्व इस्मरारदार भी रावविजयसिंह जी द्वारा दिनांक 16.01.1956 को ही अपनी वृहत काय भूमियों का विभाजन अपने परिवारजन में कर दिया था लेकिन विभाजन अनुसार मौके पर कब्जा नही रहा इसलिए चारों पुत्रों के नाम एक से ही मिन नम्बर दर्ज किये गये है।

भूसंशोधन में प्रतिवादी स0 1 से 2 तथा उनके अन्य 2 भाईयों के हिस्से के खसरा नम्बरान का मिलान हाल खसरा नम्बरान से नक्शे एवं मौके से मिलान नही खाते। प्रतिवादी स0 1 व 2 तथा उनके भाई मधुसुदनसिंह व जितेन्द्रसिंह की साबिक जमाबंदी अनुसार 440 बीघा भूमि बनती है वह कितने ही हाल नम्बरों में सम्मिलित की गई है इसलिए वादीगण को इसका सीमांकन करवाना चाहिए जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके ऐसा कोई दस्तावेज वादीगण ने पेश नही किया है। वादीगण ने गलत रक्बा एवं खसरा नम्बर दर्शाकर न्यायालय को गुमराह किया है।

प्रतिवादी स0 2 के खाते में अंकित हाल ख0 न0 4207 रक्बा 83–12–00 बीघा भूमि का विक्रय प्रतिवादी स0 2 द्वारा दिनांक 17.12.1973 को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र श्री भागचन्द वल्द बिरदीचन्द कोठारी व पारसमल पुत्र धीसालाल श्रीमाजी को 1/2 हिस्से का विक्रय किया गया और भागचन्द व पारसमल द्वारा क्रय की गई भूमि मे से ख0 न0 4259 रक्बा 10 बिस्वा 4221 रक्बा 3–05–00 बीघा एवं ख0 न0 4207 रक्बा 23.05.00 बीघा कुल 27 बीघा भूमि का विक्रय दिनांक 17.12.1973 द्वारा प्रतिवादी स0 3 से 8 को कर दिया गया तब से प्रतिवादी स0 3 से 8 काबिज चले आते है जबकि वादीगण द्वारा वाद वर्णित भूमियां सन् 1981 में खरीदी गई है। ख0 न0 4204 की उत्तर दिशा में ख0 न0 4222, 4226, 4227, 4228, 4230 स्थित है जबकि दक्षिण में सरकारी भूमि है और पूर्व में ख0 न0 4207 में प्रतिवादी स0 3 से 8 के अलावा क्रेतागण केलाराम वल्द सुवालाल जाट, धीसालाल वल्द मोतीलाल व रामनाथ वल्द भागीरथ ब्राम्हण व अन्य की भूमियां है तथा दक्षिण में ख0 न0 4203 वादी स0 1 के पुत्र जगदीश द्वारा खरीदी गई भूमि है। इस प्रकार ख0 न0 4207 के अतिरिक्त अन्य खसरा नम्बरान की भूमियां भी ख0 न0 4204 से लगायत है एसे में यह कैसे कहा जा सकता है कि वादीगण के ख0 न0 4207 का हिस्सा प्रतिवादी स0 3 से 8 द्वारा खरीदी हुई भूमि में ही सम्मिलित है।

वादीगण द्वारा मृतक प्रतिवादी स0 1, 2 व 8 के विरूद्व वाद लाये है जिसकी जानकारी वादीगण को भलीप्रकार रही है। वादीगण एवं प्रतिवादी स0 8 तो एक ही समाज के व्यक्ति है जिसकी मृत्यू दिनांक 30.06.2000 को हुई है लेकिन वादीगण ने मृतक प्रतिवादी स0 1, 2 व 8 के वारिसान को वाद पत्र में पक्षकार नही बनाया है अलावा इसके ख0 न0 4207 के

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

सम्पूर्ण रक्बे का विक्रय किया जा चुका हैलेकिन इसके क्रेतागण जो आवश्यक पक्षकार है वाद पत्र में उन्हें पक्षकार नही बनाया गया है वाद खारिज योग्य है। खारिज किया जावे।

प्रविताद पत्र प्राप्ति पर प्रकरण निम्न तनकियात कायम की जाती है।

तनकी 1 – आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद पत्र के पद स0 7 में वर्णित भूमि एवं सरकारी सिवायचक भूमि ख0 न0 4204/6719 जो वादीगण द्वारा खरीद वक्त प्रतिवादी स0 1 की खातेदारी में थी इनमें खातेदार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी है?

इस तनकी का भार वादीगण पर रहा है उन्होंने इसे सिद्ध करने के लिए प्रदर्श 1 से 29 दस्तावेज पेश किये है। इन दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि साबिक ख0 न0 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1779, 1780, 1781, 1787 विस्तृत क्षेत्र के खसरा नम्बरान रहे है जिनका बटवारा 1363 फसली में इस्मरारदार रावविजयसिंह जी ने कर दिया था लेकिन इनकी पृथक पृथक तरमीम नही की थी अलावा इसके मिन नम्बर से इन आराजियात को बांट दिया था। लेकिन पृथक पृथक बटवारा नही किये जाने से भूसंशोधन मे विवादित भूमियां पुनः विजयसिंह के पुत्रों के नामलगी जिसमें से 1 प्रतिवादी शिवप्रतापसिंह पुत्र विजयसिंह भी है जिसके खाते हाल ख0 न0 4204 रक्बा 66–12–00 व 4222 रक्बा 14–19–00 व 4223 रक्बा 3–08–00 तथा 4224 रक्बा 12 बिस्वा कुल किता 4 रक्बा 85–11–00 बीघा लगे है। प्रतिवादी स0 1 व 2 की आराजी के क्रेतागण की भी वही स्थिति है जो वादीगण की है। वादीगण द्वारा खरीदी गई भूमियां वर्किंग जमाबंदी में पुनः शिवप्रतापसिंह के नाम लगा दी गई इसी प्रकार प्रतिवादी स0 3 से 8 द्वारा जो वादीगण से पूर्व खरीदी गई थी को विक्रेता उम्मेदसिंह के नाम लगा दी गई है इस प्रकार हाल राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी स0 3 से 8 की आराजियात में दखलंदाजी इसलिए संभव नही है कि साबिक नम्बर काफी बडे क्षेत्रफल के थे जिनका मिलान भी मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 18 व 19 से सही नही बैठता है। वकील वादीगण को सुना गया वह वाद पत्र के पद स0 7 में वर्णित आराजियात में अपनी दावेदारी सिद्ध करने से कासिर रह है अलबता हाल ख0 न0 4204/6719 राजस्व नक्शे में पृथक से कोई नम्बर न होकर 4204 का ही भाग है लेकिन यह भूसंशोधन से पूर्व भी सिवायचक था तथा वर्तमान में भी सिवायचक है। मिलान क्षेत्रफल से वादीगण द्वारा खरीदी गई भूतियां का का भाग नही है। इस प्रकार आंशिक तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी 2 – आया ख0 न0 4207 की पश्चिमी मेड से लगायत ख0 न0 4204 तक वादीगण की खरीदशुदा आराजी है। इसमें वादीगण खातेदार होने की घोषणा करवाने तथा इनके बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी है? ....वादीगण

इसका भार भी वादीगण पर रहा है उन्हौंने जमाबंदियों एवं मिसल बन्दोबस्त सहित 29 दस्तावेज इस की साबिति के लिए पेश किये है प्रदर्श 28 के अनुसार ख0 न0 4204 एवं 4207 परस्पर एक दुसरे से लगायत है और ख0 न0 4204 तो वादीगण के विक्रेता शिवप्रतापसिंह की खातेदारी में है तथा 4207 प्रतिवादी स0 2 उम्मेदसिंह की खातेदारी में है जिसे उसके द्वारा शिवप्रतापसिंह द्वारा बेचने से पूर्व ही बेच दी है। इसके सभी क्रेतागण को प्रतिवाद पत्र के अनुसार पक्षकार नही बनाया गया है। वकील वादीगण को सुना गया वह यह साबित नही कर पाये है कि किस प्रकार 4207 की पश्चिमी मेड भूमि प्राप्ति के अधिकारी है। वर्तमान में खातेदार उम्मेदसिंह है उसकी जिनका इन्तकाल हो चुका है और क्रेतागण की स्थिति स्पष्ट नही है वादीगण तनकी सिद्ध करने से कासिर रहे है। तनकी विरूद्व वादीगण तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

तनकी 3 – आया प्रतिवादी स0 1 व 2 तथा 8 जो मृत व्यक्ति है उनके वारिसान को पक्षकार बनाने की अपेक्षा मृत व्यक्तियों को पक्षकार बनाया है तथा विवादित ख0 न0 4207 की आराजी के क्रेतागण को पक्षकार नही बनाया है अतः पक्षकारान के असंयोजन के कारण वाद वादीगण निरस्त योग्य है?

इसे सिद्ध करने का भार प्रतिवादी स0 3 से 8 पर रहा है। प्रतिवादी 8 का संरक्षक न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया लेकिन उसने कोई चाराफोई नही की है। प्रतिवादी स0 2 की खातेदारी की भूमि ख0 न0 4207 के क्रेतागण को वादीगण ने पक्षकार नही बनाया है ऐसा प्रतिवाद पत्र में कथन किया गया है जिसका खण्डन वादीगण द्वारा रीजाईन्डर से नही किया गया है अतः प्रतिवादीगण के कथन मान्य है किन्तु उनका असंयोजन मान्य नही है। तनकी इसी रूप में तय की जाती है।

अनुतोष?

वादीगण अपना वाद आंशिक रूप में प्रतिवादी सं0 1 की खुदकाश्त से खातेदारी की आराजी ख0 न0 4204, 4222, 4223 व 4224 वाके ग्राम जालिया द्वितीय की सीमा तक एवं आराजी ख0 न0 4204/6719 जो वर्तमान में सरकारी खाते लगी है जो प्रदर्श 28 के अनुसार ख0 न0 4204 में ही सम्मिलित है लेकिन बटानम्बर से सरकारी खाते में रखा गया है। सरकारी खाते की आराजी में घोषणा के अधिकार इस न्यायालय को नही है।

आदेश

ग्राम जालिया द्वितीय स्थित आराजी ख0 न0 4204, 4222, 4223 एवं 4224 में वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है यथानुसार नियमानुसार राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम इन आराजीयात में लगाया जावे। वाद खर्च पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.31 16:44:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: